"विभाग में संचालित प्रमुख योजनाएँ"

1. प्रधानमंत्री स्वाईल हैल्थ कार्ड योजना :–

क्रमशः रबी और खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी नमूने सामान्यतः वर्ष में 02 बार लिए जाते हैं, या जब खेत में कोई फसल न हो। स्वाईल हैल्थ का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देना तथा उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग के संबंध में सलाह देना है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :–

प्राकृतिक आपदाओं , कीट और रोगों से अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण तथा वित्तीय समर्थन, आय की स्थिरता एवं आधुनिक कृषि प्रणालियों के अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई है।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :–

मनसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत हर खेत को पानी तथा प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन के साथ–साथ पूरे देश में ,खाद्यान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना अंतर्गत उपलब्ध जल का प्रबंधन कर पर ड्राप मोर क्राप को प्रभावी बनाने हेतु ड्रिप, स्प्रिकलर रोगन प्रणालियों को बढावा देना है।

4. राष्ट्रीय बायोगैस एवं मैन्योर मैनेजमेन्ट योजना :–

ग्राम में कृषकों के पास उपलब्ध पशुधन , पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के कृषकों के लिए एक से पांच घनमीटर क्षमता तक के बायोगैस संयत्र निर्माण की योजना है। जिससे ईधन प्राप्ति में आसानी एवं आत्मनिर्भता तथा बायोगैस टांके से निकलने वाली स्लरी उत्तम खाद के रूप में फसलों हेतु उपयोगी है।

5. मापवा योजना (म.प्र.कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना)

महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने , समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिए योजना संचालित है। जिससे कि महिला कृषकों के जीवन में सुधार हो तथा स्वयं की खेती में आत्म निर्भर हो सकें।

6. सूरजधारा योजना :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों /किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी / तिल्हनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।

7. अन्नपूर्णा योजना :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान फसलों की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने में असमर्थ होते हैं ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

8. हलधर योजना :–

यह ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की योजना हैं। जिसमें किसानों को अपने खेत में गहरी जुताई कराने पर जुताई की राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 2000/– प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है यह अनुदान लघु एवं सीमांत किसानों को 2 हे. तक तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों को 4 हे. तक की सीमा में अनुदान देय है।

9. प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान की योजना :–

कृषकों को किसी भी सरकारी संस्थान/स्रोत से बीज खरीदने पर विभाग द्वारा योजनांतर्गत निहित पात्रता एवं प्रावधान अनुसार बीज वितरण अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. बलराम तालाब निर्माण :–

सिंचाई के सुनिश्चित साधन संसाधन के दृष्टिकोण से कृषको के खेत पर बलराम ताल का निर्माण कराया जाता है। जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 1.00 लाख अनुदान का प्रावधान है एवं सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि रूपये 80000=00 जो भी कम हो अनुदान देय है।

11.राज्य पोषित नलकूप खनन योजना :–

खेती में सिंचाई का साधन विकसित करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत कृषकों के खेत पर नलकूप खनन का कार्य कराया जाता है। उक्त योजना अनुसूचित, जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए लागू हैं, जिसमें नलकूप खनन कार्य पर लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 25000=00 एवं सफल नलकूप खनन पर पंप स्थापना हेतु राशि रूपये 15000=00 अनुदान देय है।

12. राज्य माईक्रो इरिगेशन योजना :–

योजनांतर्गत सिंचाई के साधनों स्प्रिंकलर सेट एवं मोबाईन रेनगन पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। स्प्रिंकलर सेट पर लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 12000=00 प्रति हे. एवं मोबाईल रेनगन पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 15000=00 प्रति रेनगन जो भी कम हो अनुदान देय है।

13. आत्मा योजना :–

कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत आत्मा योजना संचालित है। जो कि उन्नत कृषि तकनीकियों के प्रचार–प्रसार एवं विस्तार हेतु क्रियान्वित है। जिसमे मुख्य रूप से उन्नत तकनीकी फसल प्रदर्शन , फार्म स्कूल, कृषक प्रशिक्षण, भ्रमण, समूह गठन प्रशिक्षण एवं कृषक संगोष्ठी , मेला, आदि घटक संचालित किये जाते हैं।

14. मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना :–

योजनांतर्गत कृषकों को जिले के अंदर चयनित खेत तीर्थ स्थलों, राज्य के अंदर चयनित खेत तीर्थ स्थलों एवं राज्य के बाहर चयनित खेत तीर्थ स्थलों पर, उन्नत कृषि तकनीकी अवलोकन एवं अनुसरण हेतु भ्रमण कराया जाता है।

क्र.	घटक / सुविधा	प्रावधान (नॉर्म्स अनुसार)
1	राज्य के भाहर कृषक भ्रमण	@ 800रू. प्रति मानव दिवस
2	राज्य के अंदर कृषक भ्रमण	@ 400रू. प्रति मानव दिवस
3	जिले के अंदर कृषक भ्रमण	@ 300रू. प्रति मानव दिवस
4	ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 2000 / – प्रति हेक्टेयर
5	धान कम्पोजिट नर्सरी	उठी हुई नर्सरी– 1200 / – प्रति एकड़ बीजोपचार– 40 / – प्रति एकड
6	तकनीकी प्रशिक्षण	@ 6000रू. प्रति प्रशिक्षण
7	समूह निर्माण प्रशिक्षण	@ 6000रू. प्रति प्रशिक्षण
8	विशेष प्रशिक्षण	@ 6000रू. प्रति प्रशिक्षण
9	जिले के अंदर कृषक भ्रमण	@ 27000रू. प्रति प्रशिक्षण
10	मानव संसाधन प्रशिक्षण	@ 20000रू. प्रति प्रशिक्षण
11	बीज वितरण पर अनुदान	A. NFSM- दलहन @ 2500रू. प्रति क्विं. गेहूँ @ 1000रू. प्रति क्विं. चना @ 1600रू. प्रति क्विं. B. RKVY- धान @ 1000रू. प्रति क्विं. गेहूँ @ 1000रू. प्रति क्विं. चना @ 1600रू. प्रति क्विं. C. NMOOP- सोयाबीन @ 1000रू. प्रति क्विं. रामतिल @ 2500रू. प्रति क्विं. तिल @ 2500रू. प्रति क्विं.
12	बलराम तालाब निर्माण	अ.जा. / अ.ज.जा.– लागत 75 प्रतिशत या अधिकतम 100000 / – रूपये जो भी कम हो सामान्य– लागत 40 प्रतिशत या अधिकतम 80000 / – रूपये जो भी कम हो
13	बायोगैस संयंत्र निर्माण	अ.जा. / अ.ज.जा.– @ 13500रू. प्रति संयंत्र सामान्य– @ 11500रू. प्रति संयंत्र
14	डीजल पंप सेटों का वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 / – रूपये जो भी कम हो।
15	स्प्रिंकलर सेटों का वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 / – रूपये जो भी कम हो।
16	पाइपलाइन का वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 / – प्रति मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप जो भी कम हो।
17	दलहनी फसल प्रदर्शन	@ 1000रू. प्रति प्रदर्शन
18	सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण	@ 500रू. प्रति हेक्टेयर
19	जिप्सम का वितरण	रू. 750 / – प्रति हेक्टेयर या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
20	जैव उर्वरकों का वितरण	रू. 300 / – प्रति हेक्टेयर या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
21	पौध संरक्षण दवाईयों का वितरण	रू. 500 / – प्रति हेक्टेयर या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
22	फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण	रू. 3500 / – प्रति सत्र रू. 1400 / – प्रति प्रशिक्षण
23	नलकूप खनन कार्य	लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 25000 / – पंप स्थापना– 15000 / –
24	राज्य माईक्रो इरिगेशन	स्प्रिंकलर सेट– लागत का 80 प्रतिशत अधिकतम रू. 12000 / – प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो मोबाइल रैनगन– लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 15000 / – प्रति रैनगन जो भी कम हो
25	ट्रैक्टर (20–70पी.टी.ओ. हॉर्स पावर से अधिक)	लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 125000 / – जो भी कम हो
26	पावर टिलर (8 बी.एच.पी. एवं अधिक)	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 75000 / – जो भी कम हो
27	स्वचलित पेडी ट्रांसप्लांटर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 75000 / – जो भी कम हो
28	रोटावेटर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 35000 / – जो भी कम हो

29	सीडड्रिल	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 15000/– जो भी कम हो
30	रीपर कम बाईडर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 125000/– जो भी कम हो
31	कोनोवीडर	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 600/– प्रति मशीन जो भी कम हो

उपसंचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
सिवनी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उददेश्य से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की है।

योजना के प्रमुख उददेश्य :–

1. जल सुरक्षा को प्राथमिकता देना तथा हर खेत को पानी देना।
2. प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन के साथ–साथ पूरे देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
3. कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना एवं सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन।
4. खेत मे जल का सही उपयोग करते हुए पानी के अपव्यय को कम करना है।
5. पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना तथा जल उपलब्धता के अनुरूप फसलों का चयन एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर आदि कार्यक्रम लागू करना।

योजनान्तर्गत जिले की तय रणनीति :–

जिले में खरीफ फसली क्षेत्र 331300 हेक्टेयर तथा रबी फसली क्षेत्र 246500 हेक्टेयर है। दो फसली क्षेत्र 179100 हेक्टेयर है। जिले की फसल सघनता 144.9 प्रतिशत है। सिंचाई माध्यमों से 207700 हेक्टेयर में सिंचाई की जाती है। जो शुद्ध फसली क्षेत्र का 50.84 प्रतिशत है।

सिवनी जिले में वर्तमान में जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी (मध्यम एवं लघु सिंचाइ योजना) तथा तिलवारा बॉयी तट नहर केवलारी के माध्यम से 88311 हेक्टेयर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई हो रही है। जिले की निर्माणाधीन सिंचाई योजनायें तथा पेंच नहर परियोजना संभाग चौरई जिला छिंदवाडा सहित आगामी 5 वर्षो में जल संसाधन विभाग के माध्यम से 171653 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जावेगी।

इस प्रकार जल संसाधन विभाग एवं कृषि विकास विभाग एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग आदि के माध्यम से आगामी 5 वर्षो में जिले का कुल सिंचित क्षेत्र 314600 हेक्टेयर हो जावेगा, जो शुद्ध फसली क्षेत्र का 78.90 प्रतिशत होगा।

सिवनी जिले में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना अंतर्गत वर्ष 2009–10 में दो परियोजना सिवनी एवं लखनादौन स्वीकृत है। इन परियोजनाओं में से सिवनी की परियोजना में 16 समितियां एवं लखनादौन 11 समितियां तथा कुल क्षेत्रफल 19983 हेक्टेयर है। कृषि परियोजना छपारा में वर्ष 2013–14 में स्वीकृत है जिसमें 13 ग्राम एवं क्षेत्रफल 5246 हेक्टेयर है तथा घंसौर वर्ष 2014–15 में स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्रफल 5405 हेक्टेयर है।

जिले में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के तहत 01 अप्रैल 2015 से 2016 तक 739 कृषकों/ हितग्राहियों को 884 हेक्टेयर में लाभांवित किया गया है।

क्रमांक	घटक	लाभांवित कृषक	हेक्टेयर
1	स्प्रिंकलर	503	510 हे.
2	पाईपलाईन	17	17 हे.
3	रेनगन	1	1 हे.
4	विद्युत+डीजल पंप	113	226 हे.
5	ड्रिप	105	130 हे.
योग		**739**	**884 हे.**

उपसंचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
सिवनी